

प्रेस नोट-
थाना-नवाबाद, जनपद-झाँसी

दिनांक- 18.06.2026

- जनपद झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही,
- थाना नवाबाद पुलिस द्वारा शादी का झाँसा देकर दुष्कर्म करने के अभियोग में वाँछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार,
- गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कर जिला कारागार में निरुद्ध किया गया।

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्रीमती अनुपमा कुलश्रेष्ठ व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 18.06.2026 को थाना नवाबाद पुलिस द्वारा थाना स्तानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 275/26 धारा 69 BNS से सम्बन्धित वाँछित अभियुक्त विनय कुमार पुत्र निरभान सिंह उम्र करीब 25 वर्ष हाल पता निवासी बी-31 पानी की टंकी के पास दधीची नगर, थाना-मुरलीपुरा, जिला-जयपुर, राजस्थान मूल निवासी-ग्राम सलैया खुर्द, थाना-नदीगांव, जिला-जालौन को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कर जिला कारागार भेजा गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 01.06.2026 को आवेदिका द्वारा दाखिल किये गये प्रार्थना-पत्र के आधार पर अभियुक्त विनय चौहान द्वारा वादिया को शादी का झाँसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाने के सम्बन्ध में अभि0 विनय चौहान उपरोक्त के विरुद्ध थाना नवाबाद पर मु0अ0सं0 275/26 धारा 69 वले पंजीकृत किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी व तलाश के प्रयासों से आज दिनांक 18.06.2026 को थाना नवाबाद पुलिस के मुखबिर की सूचना पर वाँछित अभियुक्त विनय कुमार उपरोक्त को मेडिकल बाई पास पर बन रहे ओवरब्रिज के नीचे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जिला कारागार भेजा गया।

नाम पता अभियुक्तगण -

1. विनय कुमार पुत्र निरभान सिंह उम्र करीब 25 वर्ष हाल पता निवासी बी-31 पानी की टंकी के पास दधीची नगर, थाना-मुरलीपुरा, जिला-जयपुर, राजस्थान मूल निवासी-ग्राम सलैया खुर्द, थाना-नदीगांव, जिला-जालौन।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. प्र0नि0 थाना नवाबाद श्री रवि श्रीवास्तव,
2. उ0नि0 श्री अनुज कुमार, थाना नवाबाद झाँसी,
3. का0 रामू, थाना नवाबाद, झाँसी।